बीरबल बनाम रामेश्वर वगैरह

अपील संख्या 210/2017

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज | नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20-9-21 | अपीलान्ट बीरबल की ओर से श्री प्रहलाद जाखड़ एडवोकेट जरिये वकालतनामा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर अपील विड्रॉल खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट बीरबल स्वयं उपस्थित। विड्रॉल प्रार्थना पत्र पर सुना गया। श्री प्रहलाद जाखड़ एडवोकेट ने विड्रॉल प्रार्थना पत्र पर बहस कर कहा कि अपील में लोक अदालत की भावना से आपस मे राजीनामा हो चुका है इसलिए अपीलार्थी अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः अपील जरिये विड्रॉल खारिज फरमाई जावे।<br>हमने विड्रा प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपीलान्ट जो कि न्यायालय मे व्यक्तिशः उपस्थित है ने अपील आगे नही चलाने के सम्बन्ध में कथन किया तथा प्रार्थना पत्र मय पहचान पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी स्वयं इस अपील को आगे नही चलाना चाहता है, अतः विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी जरिये (WITHDRAW) विड्रावल खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। आदेश की प्रमाणित प्रति के अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>अति. संभागीय आयुक्त<br>बीकानेर | बीरबल [illegible]<br>Identified by<br>[signature] Adv<br>20.9.2021 |